11/6/18

वकील प्रार्थी उप0 । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर
बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के तर्क रहे कि उसके
हिस्से की आराजी को प्रतिवादी सं. 1 से 3 दीगर व्यक्ति
को बेचने पर आमादा है। रीडर सरकार उपस्थित
उनके तर्क रहे कि यदि कोई सह खातेदार अपने हिस्से
की भूमि को बेचना चाहे तो उसे बेचने से रोका नहीं
जा सकता क्योंकि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की
भूमि है अतः किसी सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित
नहीं की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया
तो पाया कि प्रार्थी एव अप्रार्थी सं. 1 से 3 विवादित
आराजी के सहखातेदार है ऐसी स्थिति में प्रतिपादित
न्यायसिद्धांतानुसार किसी सह खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा
नहीं दी जा सकती वाद पत्र मैरिट पर तय किया जाना है।
वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित
नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.06 13:57:15 IST
Reason: SelfAttested